कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा
(छत्तीसगढ़)

—:0 आदेश 0:—

क्रमांक / 1705 / सां.लि. / COVID-19 / 2021 दन्तेवाड़ा दिनांक 18 / 10 / 2021

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना है, जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर के पत्र क्रमांक / प्रशा. / 1374 / 2021, दिनांक 11.10.2021 को दृष्टिगत रखते हुए ईद—ए—मिलाद (मिलाद—उन—नबी) त्योहार के संबंध में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते हैं :—

01 ईद मिलादुन्नबी त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार का जुलस, सभा, रैली, प्रभात फेरी या बाईक रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी ।

02 मस्जिदों में तकरीर, परचम कुसाई की अनुमति होगी ।

03 कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थान में किया जावे जिससे सार्वजनिक निस्तार बाधित ना हो ।

04 ईद मिलादुन्नबी त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम (जलसा) के आयोजन की अनुमति नहीं होगी ।

05 ईद मिलादुन्नबी त्योहार की समस्त कार्यवाही प्रातः 09.00 बजे तक सम्पन्न कर ली जावे ।

06 शासकीय सम्पति जैसे बिजली का खम्भा, कार्यालय आदि तथा रोड क्रास करते हुये झंडा, तोरण लगाने की अनुमति नहीं होगी ।

07 ईद मिलादुन्नबी त्योहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को मास्क पहनना, समय—समय पर हेण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंशिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर / 06 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा ।

08 ईद मिलादुन्नबी त्योहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों के संबंध में एक रजिस्टर संधारित किया जावेगा, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके ।

09 ईद मिलादुन्नबी त्योहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार / राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोराना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा ।

10 आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जावे । किसी प्रकार का यातायात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जावे ।

11 ईद मिलादुन्नबी त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र—शस्त्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेंगे ।

12 ईद मिलादुन्नबी त्योहार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जावे ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत् कार्यवाही की जावेगी ।

(कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महो. द्वारा अनुमोदित)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी / जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर
दन्तेवाड़ा

पृ.क्र./1706/सां.लि./COVID-19/2021 दन्तेवाड़ा दिनांक 18/10/2021

प्रतिलिपि :–

1 आयुक्त, बस्तर–संभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

2 पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

3 पुलिस अधीक्षक, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

4 अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दन्तेवाड़ा/बड़ेबचेली ।

5 समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

6 समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा ।

7 निरीक्षक, यातायात दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

8 सर्व थाना प्रभारी, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा कृपया अपने–अपने क्षेत्र के आयोजन समिति की बैठक लें एवं उन्हें आवश्यक समझाईस देवें ।

9 सहायक संचालक, जनसपंर्क जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर
दन्तेवाड़ा